

फर्द अहकाम

श्री भारद्वाज
कलक्टर, बस्ती
तदमा नम्बर :

बनाम लालचन्द

153/2024

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

पत्रावली पेश हुई। यकील वादी
अगरान उपस्थित। पत्रावली पूर्व
अदिशानुसार दिनांक... 4/10/24
को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई/P.O. साहब दौरे/अध्य
कार्य वकूलाय द्वारा कार्य बहिष्कार रहने
के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी।
पत्रावली आगामी दिनांक... 18/10/24
को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई/P.O. साहब दौरे/अध्य
कार्य वकूलाय द्वारा कार्य बहिष्कार रहने
के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी।
पत्रावली आगामी दिनांक... 25/11/24
को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई/P.O. साहब दौरे/अध्य
कार्य वकूलाय द्वारा कार्य बहिष्कार रहने
के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी।
पत्रावली आगामी दिनांक... 6/12/24
को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता एवं
प्रतिवादी सं 1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित।
वादी अधिवक्ता ने संशोधित उत्तर
पेश किया जो शामिल पत्रावली है।
अभ्यपक्ष अधिवक्ता ने तदधीनकार
बस्ती सं पूर्व प्र पत्रावली भु-अ/2024/

फर्द अहकाम

भोमराम बनाम लालचन्द

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 153/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>2207 दिनांक 14/05/2024 पर प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार बादपत्र के अंतिम डिक्री करमाते हेतु विवेक किया। उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर बुना गया।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध डिफार्स का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर बुनने एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर एक पार्श्व है कि विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी गण के हस्ताक्षर हैं एवं उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री करने हेतु सहमति जाधिर की है ऐकी दिपति मैं तहसीलदार बस्सी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव लडी करकर माये है प्रतीत होता है इसीसे प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार बादपत्र में अंतिम डिक्री-विभाजन हेतु धारित किया जाना उचित समझते हैं अतः तहसीलदार कच्छी के पत्रावली न्य.अ./2024/2207</p>

फर्द अहकाम

भौमराम बनाम लालचन्द

कलक्टर, बस्सी

रदमा नम्बर :

153/2021

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

दिनांक 14/05/2024 द्वारा प्रेषित
 निमाजत प्रस्ताव का अनुमोदन
 किया जाकर मुताबिक निमाजत
 प्रस्ताव वादी का वाद अंतिम रूप
 से डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त
 अमली खसरा न. 151/2 रकबा 3.7935
 हेक्टर स्थित ग्राम कपपुरा प. हल्का
 खिजूरिया ब्राह्मणान भू-अ.नि. सांभरिया
 तह-बस्सी जि. जयपुर में है खसरा
 न. 151/2/1 रकबा 0.9344 हेक्टर कि
 भूधि खातेदार भौमराम पुत्र नन्दाराम
 जाति मीना सा. दीरावाला के हिससे
 में रटेजी तथा खसरा न. 151/2/2
 रकबा 2.8032 हेक्टर कि भूधि
 खातेदार कल्याणी पत्नी स्व. प्रताप
 दि. 1/3 जाति मीना सा. देह राइन 1/3
 दि. पंजाब नेशनल बैंक शाखा फाल्गावास
 लालचन्द पुत्र प्रताप दि. 1/3 जाति
 मीना सा. देह राइन 1/3 दि. पंजाब
 नेशनल बैंक शाखा फाल्गावास, हरिनारायण
 पुत्र प्रताप दि. 1/3 जाति मीना सा. देह
 राइन 1/3 दि. पंजाब नेशनल बैंक

६

फर्द अहकाम

भौमाराम बनाम लालचन्द

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 153/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>शाखा काल्यावास के डिप्टी मै रीजि तथा खस्य न. 151/2/3 खका 0.055 हेतु कि भूखे खातेदार भौमाराम पुत्र नन्दराम जाति मीना सा. हीरावाला छि. 1/4, कल्याणी पत्नी स्व. प्रताप छि. 1/4 जाति मीना सा. देह राहिन 1/4 छि. पंजाब नेशनल बैंक शाखा काल्यावास लालचन्द पुत्र प्रताप छि. 1/4 जाति मीना सा. देह राहिन 1/4 छि. पंजाब नेशनल बैंक शाखा काल्यावास, हरिनारायण पुत्र प्रताप छि. 1/4 जाति मीना सा. देह राहिन 1/4 छि. पंजाब नेशनल बैंक शाखा काल्यावास के डिप्टी मै रीजि। तदसीलदार बस्सी प्रकरण में फोटो हुए पक्षकारों के विद्वेष वारिसों की नियमानुसार जांचक उनकी नाम नामान्तरण दर्ज कर तदपश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिक्वाइर्ड में अग्रल करामद करने की कार्यवाही करें। उक्त पत्र जारी हो बाद अनुमोदन</p>

फर्द अहकाम

श्रीमराम

बनाम लालचन्द

यालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

153/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>विभाजन प्रस्ताव व नम्बरी की प्रति तहसीलदार बस्सी को भिजवाया जावे। इस आशय की तहसीलदार बस्सी को पालनार्थ तहसीर जारी है।</p> <p>पत्रावली फेब्रुअरी सुमार होकर बाद तकमील दायिमल दफ्तर बोनर दर्ज नम्बर से कम है।</p> <p>प्रद निर्णय आज दिनांक 06/12/2021 को सुप्रीम न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

अंतिम डिकी मुकदमा इवतदाई
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर
बेजसमीन अधिकारी शिप्रा जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर
वादीयागण प्रतिवादीगण

बनाम

भौमाराम पुत्र नन्दाराम
जाति मीना निवासी ग्राम हीरावाला
तह0 बस्सी जिला जयपुर।

1. लालचन्द पुत्र प्रताप
2. हरिनारायण पुत्र प्रताप
3. कल्याणी पत्नि प्रताप
समस्त जाति मीना निवासी ग्राम रुपपुरा
तह0 बस्सी जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
5. उप पंजियक बस्सी तह0 बस्सी जिला
जयपुर।


दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

मुकदमा नम्बर 153/2021

वादी का वाद अंतिम डिकी किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख0न0 151/2 रकबा 3.7935 है0 स्थित ग्राम रुपपुरा प0ह0 खिजूरिया ब्राहमणान् भू0अ0नि0 सांभरिया तह0 बस्सी जिला जयपुर में से ख0नं0 151/2/1 रकबा 0.9344 है0 की भूमि खातेदार भौमाराम पुत्र नन्दाराम जाति मीना सा. हीरावाला के हिस्से में रहेगी तथा ख0नं0 151/2/2 रकबा 2.8032 है0 की भूमि खातेदार कल्याणी पत्नि स्व0 प्रताप हि0 1/3 जाति मीना सा. देह राहिन 1/3 हि0 पंजाब नेशनल बैंक शाखा फाल्यावास लालचन्द पुत्र हि0 1/3 जाति मीना सा0 देह राहिन 1/3 हि0 पंजाब नेशनल बैंक शाखा फाल्यावास, हरिनारायण पुत्र प्रताप हि0 1/3 जाति मीना सा. देह राहिन 1/3 हि0 पंजाब नेशनल बैंक शाखा फाल्यावास के हिस्से में रहेगी तथा ख0नं0 151/2/3 रकबा 0.0559 है0 की भूमि खातेदार भौमाराम पुत्र नन्दाराम जाति मीना सा0 हीरावाला हि0 1/4, कल्याणी पत्नि स्व0 प्रताप हि0 1/4 जाति मीना सा0 देह राहिन 1/4 हि0 पंजाब नेशनल बैंक शाखा फाल्यावास, लालचन्द पुत्र प्रताप हि0 1/4 जाति मीना सा0 देह राहिन 1/4 हि0 पंजाब नेशनल बैंक शाखा फाल्यावास, हरिनारायण पुत्र प्रताप हि0 1/4 जाति मीना सा0 देह राहिन 1/4 हि0 पंजाब नेशनल बैंक शाखा फाल्यावास के हिस्से में रहेगी। तहसीलदार बस्सी प्रकरण में फोट हुए पक्षकारों के विधिक वारिसान की नियमानुसार जांच कर उनके नामान्तरण दर्ज कर तत्पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करने की कार्यवाही तहसीलदार करें।.....निजी.....मुबलिक.....बाबत..... खर्चा.....इस मुकदममें का मय रूद वगैरह.....प्रीससी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें। बसख मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 06.12.2024 को जारी किया गया।

8


मोहर
ओहदा.....



सहायक कलक्टर
वस्ती जिला जयपुर

मुद्दाई	रुपये	पैरो	मुद्दायलह	काम	दिना
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान					

टिप्पणी:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्ली कं जरिये दिखाना है
नहीं दर्ज करना चाहिए।


सहायक कलक्टर
वस्ती जिला जयपुर